

1/54269/2022

10.08.22

MD
12/08/22

CE(P)/Pauri/AAO

ई-फाइल सं0-28159

2380

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

MRB

10.8.2022
प्रमुख अभियन्ता
लो. नि. वि.

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

1501

SSO(P) LT

मुख्य अभियन्ता/प्रमुख
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

SAO(CP)

12/8/22

एन. एस. खोलि
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

12/8/22

12/8/22

लोक निर्माण अनुभाग-2

08 अगस्त
देहरादून : दिनांक 08/08/2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र- पुरोला के विकासखण्ड मोरी में दिनांक 18.08.2019 को आयी प्राकृतिक आपदा के कारण आराकोट क्षेत्र के आराकोट चिंवा बालचा मोटर मार्ग के किमी. 14 (चैनेज 13/20 से 13/40 तक) में मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन) हेतु की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, जिसकी कुल लम्बाई 0.500 किमी0 एवं लागत रु. 124.39 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि रु. 95.90 लाख (रु0 पिच्चानबे लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु रु.0.10 लाख (दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में **debitable** आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी

मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2023 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्यय के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक I/52888/2022 दिनांक 27 जुलाई, 2022 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Ramesh Kumar
Sudhanshu (प्रमुख सचिव)
Date: 02-08-2022 19:33:55

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

1. . महालेखाकार (लेखा प्रथम), कौलागढ़, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. . सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. . आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. . जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. . मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, पौड़ी।
6. . मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/उत्तरकाशी
7. . निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. . वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. . अधीक्षण अभियन्ता, 6वाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
10. . अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला।
11. . गार्ड बुक।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

आवंटन पत्र संख्या -I/54269/2022

अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S22080220009

आवंटन पत्र दिनांक-10-AUG-2022

लेखा शीर्षक

 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
परिव्यय

04-जिला तथा अन्य सड़के

33/-सड़क निर्माण कार्य

03-राज्य सेक्टर

 02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
800-03-02से स्थानान्तरित)

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
53-वृहद निर्माण					360000	10000	0	370000				
योग					360000	10000	0	370000				

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

कार्यालय
मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
सड़क निर्माण विभाग, देहरादून

फाइल नं.- 554 / 20 यातायात/2022

दिनांक:-16/8/22

प्रतिलिपि निम्न को सूच्यार्थ

एवं उपरोक्ता नगर आपश्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डी. मुख्य अभियंता, लोन्निवि, पैड़ी।

2. अधीन अभि. 06 वी. वृत्त, लोन्निवि, अतरकाशी।

3. अधीन अभि. 0 नि. वृत्त, लोन्निवि, पुरोला।

प. अधीन अभि. 0 उमरडी. वृत्त

4. आपर. सहायक अभियंता (प्र.) / सड़क वर्ग विभागाध्यक्ष
कार्यालय, लोन्नि वि. देहरादून।

12/8/22
आर० सी० एस० पंकर
वरिष्ठ प्रशासक अधिकारी